भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–177/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
17.12.2019	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **बंदगाँव** द्वारा दिनांक–**17.12.2019** को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **बंदगाँव** ने अपने जाँच प्रतिवेदित में स्पष्ट किया है कि आवेदक **विजय होरो**, पिता–**सुखदेव होरो**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**पोड़ोंगेर**, थाना–**बंदगाँव**, जिला **प० सिंहभूम** CNT Act की 46 के तहत मौजा–पोड़ोंगेर, थाना नं0–276, खाता नं0–142, खेसरा नं0–28, रकवा–0.03 ए0 भूमि जनहित में राज्यपाल झारखण्ड सरकार को अंतरण करना चाहते हैं। अंचल अधिकारी बंदगाँव द्वारा बताया गया है कि उक्त भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। उक्त खाते की भूमि से आवेदक अपने हिस्से की भूमि राज्यपाल झारखण्ड सरकार को अंतरण करना चाहते हैं। प्रसतावित भूमि विवादरहित है साथ ही यह भूमि गैरमजरूआ खास आम भू–हदबन्दी, कैसर हिन्द एवं मंदिर–मस्जिद के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। अंचल अधिकारी, बंदगाँव के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदक **विजय होरो**, पिता–**सुखदेव होरो**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**पोड़ोंगेर**, थाना–**बंदगाँव**, जिला **प० सिंहभूम** को जनहित में उक्त भूमि राज्यपाल झारखण्ड सरकार को अंतरण करने हेतु **स्वीकृति** दी जाती है। 17-12-19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	